-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना बदौसा पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 675 क्वार्टर (15 पेटी) देशी शराब व परिवहन में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शराब की बिक्री व निष्कर्षण करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बदौसा पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना बदौसा पुलिस द्वारा दिनांक 02/03.09.2026 की देर रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर तुर्रा पुल के पास से दो अभियुक्तों को अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 675 क्वार्टर(15 पेटी) अवैध देशी शराब व परिवहन में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद हुआ है।

बरामदगी-

- 675 क्वार्टर अवैध देशी शराब मस्तीह ब्राण्ड।
- 01 चार पहिया वाहन (परिवहन में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. वैभव पुत्र धनपद निवासी ग्राम कस्बा अतर्रा थाना अतर्रा जनपद बांदा।
2. विनय पुत्र शिवभवन निवासी ग्राम कस्बा अतर्रा थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 165/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बदौसा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री राधाकृष्ण तिवारी
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार
3. कां0 नंदलाल
4. कां0 अनिल यादव